कार्यालयः जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़

पत्रांकः 6747-52 /2021-22 दिनांकः 17.08.21

प्रधानाचार्य,
समस्त राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय
जनपद अलीगढ़

सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज के पत्रांकः मा0शि0प0/सिस्टम सेल/252 दिनांकः 17 अगस्त, 2021 के साथ संलग्न अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्याः 1645/15-7-2021-1(20)/2020टी0सी0 दिनांकः 17 अगस्त, 2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जो वर्ष 2021 के घोषित परीक्षाफल में अंक सुधार हेतु इच्छुक परीक्षार्थियों की परीक्षा के आयोजन के सम्बन्ध में बोर्ड परीक्षा आयोजित कराए जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त शासनादेश की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि आप उक्त शासनादेश का पर्याप्त प्रचार प्रसार कर सम्बन्धित छात्रों/अभिभावकों को अवगत कराये एवं शासनादेश में दिये गये आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

उक्त शासनादेश की प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय की वेबसाइट dios.aligarh.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक– उक्तवत्

17/08/21
जिला विद्यालय निरीक्षक
अलीगढ़

पृष्ठांकन संख्या व तिथि यथोपरि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, अलीगढ़
2. संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़
3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. जिला सूचना अधिकारी, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि आप उक्त सूचना को जनपद के लोकप्रिय समाचार पत्रों में छात्रहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
5. सम्पादक, अमर उजाला, दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान को इस अनुरोध के साथ कि आप उक्त सूचना को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

जिला विद्यालय निरीक्षक
अलीगढ़

Scanned by CamScanner

प्रेषक,

सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

सेवा में,

1– समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक
उत्तर प्रदेश

पत्रांकः मा0शि0प0 / सिस्टम सेल / 252 दिनांकः 17 अगस्त 2021

विषयः **वर्ष 2021 के घोषित परीक्षाफल में अंक सुधार हेतु इच्छुक परीक्षार्थियों के परीक्षा के आयोजन के सम्बन्ध में बोर्ड परीक्षा आयोजित कराये जाने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः1645 / 15–7–2021–1(20) / 2020 टी0सी0 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7 दिनांक 17 अगस्त 2021 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि शासनादेशानुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः उक्तवत्।

भवदीय

(दिब्यकान्त शुक्ल)
सचिव

पृष्ठांकन संख्याः मा0शि0प0 / सिस्टम सेल / 252 (1-3) तद्दिनांक

उक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ।

2– शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3– अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ, बरेली, वाराणसी, प्रयागराज एवं गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित है कि अपने परिक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जनपदों में उक्त शासनादेशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(दिब्यकान्त शुक्ल)
सचिव

संख्या—1645 / 15—7—2021—1(20) / 2020टी0सी0

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—समस्त,
जिलाधिकारी, उ0प्र0।

2—शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

3—सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उ0प्र0 प्रयागराज।

4—समस्त,
मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
उ0प्र0।

5—समस्त,
जिला विद्यालय निरीक्षक,
उ0प्र0।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—7 लखनऊः दिनांकः 17 अगस्त, 2021

विषयः—वर्ष—2021 के घोषित परीक्षाफल में अंक सुधार हेतु इच्छुक परीक्षार्थियों की परीक्षा के आयोजन के संबंध में बोर्ड परीक्षा आयोजित कराए जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या—मा0शि0प0 / केन्द्रस्थापना / 603 दिनांक 12.08.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2— कोरोना वायरस (कोविड—19) के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के कारण सत्र को नियमित करने एवं छात्रहित में माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा संचालित विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020—21 की बोर्ड परीक्षा को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त के कम में कक्षा—10 एवं कक्षा—12 की बोर्ड परीक्षा में पंजीकृत छात्रों के परीक्षाफल को तैयार करने तथा लिखित परीक्षा में अंको को आगणित किए जाने वाली प्रकिया एवं आधारों के संबंध में शासनादेश संख्या—1128 / 15—7—2021—1 (20) / 2020 दिनांक 20.06.2021 द्वारा आदेश निर्गत किए गए। अंक सुधार हेतु उक्त शासनादेश में निम्नलिखित व्यवस्था भी की गयी थी:—

"वर्ष 2021 के समस्त पंजीकृत परीक्षार्थी जो अंक सुधार हेतु पुनः परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते है, उन्हें आगामी बोर्ड परीक्षा में शुल्क दिए बिना अंक सुधार हेतु एक या एक से अधिक कितने भी विषयो में परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा तथा उनका परीक्षाफल 2021 का ही माना जाएगा।"

3— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 20.06.2021 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त अंक सुधार हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए दिनांक—18.09.2021 से

Scanned by TapScanner

06.10.2021 के मध्य (हाईस्कूल की परीक्षा 12 कार्य दिवसों में एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा 15 कार्य दिवसों में) बोर्ड परीक्षा आयोजित कराए जाने का निर्णय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन लिया गया:-

1. परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए परीक्षार्थीगण बोर्ड की वेबसाइट www.upmsp.edu.in पर उपलब्ध आवेदन के प्रारूप को डाउनलोड करके अथवा अपने विद्यालय से प्राप्त करके उसे भरकर दिनांक 17.08.2021 से 27.08.2021 तक अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्राप्त करा देंगे।
2. वर्ष-2021 की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन प्रक्रिया एवं निर्धारित तिथियों का उल्लेख करते हुए प्रमुख समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाय।
3. प्रधानाचार्यगण प्राप्त आवेदनों के परीक्षा विवरणों तथा परीक्षार्थी के अनुक्रमांक एवं आवेदित विषयों आदि की सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर विद्यालय लॉगिन के माध्यम से दिनांक-29 अगस्त 2021 के मध्य रात्रि 12:00 बजे तक अनिवार्य रूप से अपलोड करा देंगे।
4. बोर्ड के वेबसाइट पर निर्धारित अंतिम तिथि-27.08.2021 तक प्राप्त आवेदनों के अनुसार जनपदवार/विद्यालयवार बालक एवं बालिकाओं की संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया जायेगा। वर्ष 2021 की परीक्षा हेतु निर्धारित केन्द्रों में से यथासम्भव राजकीय विद्यालय ही परीक्षा केन्द्र बनाये जायेंगे।
5. दिनांक 18 सितम्बर 2021 से प्रस्तावित परीक्षा संलग्न समय-सारणी के अनुसार नियमानुसार सुनिश्चित करायी जाएगी।
6. परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षाएं पूर्णतया नकलविहीन कराने हेतु परीक्षा केन्द्रों के समुचित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की ठोस व्यवस्था भी वर्ष-2021 की परीक्षा हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित कराई जाएगी। उक्त परीक्षा में कोविड प्रोटोकाल का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
7. प्रस्तावित बोर्ड परीक्षा में छात्रों की सुविधा हेतु प्रश्नपत्र को 3 घंटे के स्थान पर प्रश्नों की संख्या कम करते हुये प्रश्नपत्र 2 घंटे का किया जाय।
8. अंक सुधार हेतु आयोजित उक्त परीक्षा केवल परीक्षा के लिखित अंशों हेतु आयोजित की जाय। आंतरिक मूल्यांकन/प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक पूर्ववत रहेंगे।
9. अंक सुधार हेतु उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के मूल्यांकन से प्राप्त अंकों को अंतिम माना जाएगा। परीक्षा के पूर्व में घोषित परीक्षाफल दिनांक 31.07.2021 में लिखित अंश में प्राप्त अंक मान्य नहीं होंगे।
10. वर्ष 2021 की इण्टरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थी यदि चाहें तो वह भी आगामी प्रयोगात्मक परीक्षा में पुनः सम्मिलित हो सकते हैं।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए नकलविहीन परीक्षा सुनिश्चित करायी जाय।

संलग्नक यथोक्त

भवदीया,

(आराधना शुक्ला)
अपर मुख्य सचिव।

Scanned by TapScanner

संख्या– (1)/15–7–2021–1(20)/2020टी0सी0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. डी0जी0पी0, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
8. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

17.8.21

(उदय भानु त्रिपाठी)

विशेष सचिव।